संख्या-1/3/96-का-4/2004

प्रेषक,

वी0के0 मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 3 जून,2004

विषय- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुए शासन द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है:-

1. सामान्यतः कोई स्थानान्तरण नही किया जाएगा, किन्तु:-

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ख) प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ग) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(घ) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर /स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(ड़) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह -"ग" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा।

2. लखनऊ को छोड़कर अन्य जनपदों में जो समूह "क" एवं "ख" के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपनी सेवाकाल में कुल 10 वर्ष पूर्ण कर चुके है, को उक्त स्थानों से स्थानान्तरित कर

दिया जाय, किन्तु लखनऊ स्थित विभागीय मुख्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।

3. प्रत्येक विभाग में उक्त आधारों पर स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत तक सीमित रखी जाए तथा जहॉ इस निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो वहॉ समूह-"क'' एवं "ख'' के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए तथा समूह "ग'' एवं "घ'' के लिए मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाये किन्तु यदि अपरिहार्य कारणों से प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजित कराकर आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

5. समूह "ख'' के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेगे।

6. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव दिनांक 20 जून,2004 तक पूर्ण कर लिये जाये। दिनांक 20 जून, 2004 के उपरान्त शासन स्तर से कोई स्थानान्तरण नही किये जायेगे ,जब तक मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन न प्राप्त कर लिया गया हो, इसी प्रकार समूह "ख'' के अन्य कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह "ग'' एवं "घ'' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके ही स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा।

7. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के कम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो दिनांक 10 जून,2004 तक मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त:-

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।

(2) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहॉ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(3) समूह "क'' एवं "ख'' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होगें।

(4) पदोन्नति के कारण स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के कार्यभार ग्रहण न करने पर उससे पदोन्नति को "फोरगो" करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से प्रार्थना-पत्र लेकर तद्नुसार उसके सेवा अभिलेखों में उल्लेख कर दिया जाय।

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि के बारे में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/ एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें, और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(2) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

(3) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें। यह प्रतिबन्ध आई0ए0एस0/आई0पी0एस0/पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 अधिकारियों पर लागू नही होगा।

10. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनकें द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किये जाय। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय।

11. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999" के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/ कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाय।

12. चार्ज नोट:-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित-"क" एवं "ख" के अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अत: स्थानान्तरित

अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों/ विकास कार्यक्रमों/ परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बना दें, ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

13 जनहित में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कभी भी किसी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

14. यह स्थानान्तरण नीति, जबतक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत् लागू रहेगी। इस नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा।

भवदीय,

(वी0 के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

संख्या-1/3/96/(1)-का-4-2004, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 1 सा० नियुक्ति—3-6-2004-(274)—5,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।